न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 07/2015

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थीगण:—
1. सुनिता धुपड पुत्री वेदवृत सबरवाल निवासी जयपुर हाल निवासी एन.डब्ल्यु. कालगेरी ए.बी. कनाडा जरिये आम मुख्तियार हरिशचन्द्र पुत्र ईश्वर गौड़ जाति ब्राहम्ण निवासी आदर्श नगर तहसील मारवाड जंक्शन		1. सतवीरसिंह पुत्र श्री रामाकिशन जाति जाट निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के पास, मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति —

श्री राजूदास वैष्णव, विद्धान अभिभाषक प्रार्थी
श्री नवीन दवे, विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांकः— 8/6/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 51/2007—08 संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 27.05.2008 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मारवाड जंक्शन की आबादी क्षेत्र आदर्श नगर में प्रार्थी का पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ स्थित है, जिसके भूखण्ड संख्या 155 है। उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 36 प्रार्थीया की माता शारदा सबरवाल के नाम से बना हुआ है। उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर जारी किया गया है, जबकि एक पट्टे के प्रभाव में रहते उसी भूमि का दुबारा पट्टा कानूनन जारी नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 को यह पूर्ण जानकारी थी, कि उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में प्रार्थीया की माता के नाम से जारीसुदा है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया, जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को तब हुई, जब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जबरदस्ती उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण करने की चेष्टा करने पर प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय (क0ख0) मारवाड जंक्शन में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का वाद एवं उसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 83/2009 में दिनांक 15.03.2011 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच की गई है, जिसमें प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा माना है तथा अप्रार्थीगण

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के विरूद्ध चालान पेश किया गया है, जो प्रकरण विचाराधीन है तथा अप्रार्थीगण आज भी जमानत पर है। इसी क्रम में सरपंच पर आपराधिक शाजिश रचने का प्रकरण दर्ज करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भी अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। प्रश्नगत भूमि पर एक पट्टा प्रभाव में होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में आम मुख्तियार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा आम मुख्तियारनामा 20/– रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया है, जो कानूनन अवैध है। इसके अतिरिक्त निगरानी देरीना प्रस्तुत की जाने से भी चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1965 में शारदा सबरवाल के नाम का पट्टा जारी होना बताया है। उस समय शारदा सबरवाल के पति वेदवृत सबरवाल स्वयं विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, जिनके द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से फर्जी रूप से यह पट्टा जारी करवाया गया था। आदेशिका दिनांक 27.01.1965 में मिसल 17.01.1965 को पेश होना अंकित किया है, जो इस तथ्य की पुस्टि करता है कि वर्ष 1965 में पट्टा जारी करने की मिसल में विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाई गई। दिनांक 17.01.1965 की आदेशिका में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये जाते है तथा उसके अगले दिन दिनांक 18.01.1965 को पैसे जमा होकर पट्टा जारी कर दिया जाता है। प्रार्थीया स्वयं कनाडा रहती है तथा आम मुख्तियारनामा में कहीं भी कब्जा होने बाबत तथ्य अंकित नही किये है तथा न ही प्रार्थीया को पता भी है कि प्रश्नगत भूमि की भौतिक प्रस्थिति क्या है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करावे एवं क्रोस निगरानी स्वीकार करवाते हुए ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 182/164–1965 में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 1965 को खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 51/2007–08 संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 27.05.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी का निगरानी में मुख्य कथन यह है कि जैर निगरानी पट्टा जिस भूमि पर जारी किया गया है, वह भूमि प्रार्थी की माता शारदा सबरवाल की पट्टासुदा भूमि है, जिसके भूखण्ड संख्या 155 एवं पट्टा संख्या 36 वर्ष 1965 में जारी सुदा है। कानूनी स्थिति यह बनती है कि पूर्व में जारी पट्टे के प्रभाव में रहते नया पट्टा जारी नही किया जा सकता है। इसके विपरित अप्रार्थी का कथन है कि शारदा सबरवाल के पति वेदवृत सबरवाल वर्ष 1965 में विकास अधिकारी पंचायत समिति मारवाड जंक्शन के पद पर पदस्थापित थे, जिन्होने बिना कलक्टर की अनुमति लिये, मिलीभगत एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपनी पत्नि के नाम से अनाधिकृत रूप से पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। हालांकि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 में क्रोस निगरानी याचिका के प्रावधान उपलब्ध नही है, किन्तु धारा 97 के तहत इस न्यायालय के संज्ञान में आने पर भी प्रकरण का परीक्षण किया जा सकता है। अतः प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर शारदा सबरवाल के नाम जो पट्टा जारी हुआ है, उसके दस्तावेज की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रतियां जो पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई है, उनका अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि दिनांक 16.02.64 को शारदा सबरवाल ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मास्टर प्लान में दो प्लॉट ऐलॉट कर पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 15.12.64 को मिसल कायम की गई तथा नक्शा बनाकर मिसल दिनांक 27.12.64 को पेश करने के आदेश दिये गये। जिस पर मिसल दिनांक 27.01.64 को प्रस्तुत हुई एवं इस दिन तीन वार्ड पंचो की कमेटी से रिपोर्ट मंगवाने के आदेश पारित किये तथा पत्रावली दिनांक 17.01.65 को प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये, जो संदेहास्पद है, क्योंकि वास्तविक रूप से आदेश दिनांक 27.01.1964 को किसी भी कार्यवाही हेतु आदेश पारित होने के पश्चात पत्रावली दिनांक 17.01.1965 को किसी भी रूप में प्रस्तुत नही हो सकती थी। इसके पश्चात दिनांक 17.01.65 को पत्रावली प्रस्तुत होना अंकित है तथा इस दिनांक को एक माह का नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके अगले ही दिन अर्थात दिनांक 18.01.1965 को राशि जमा करवाया जाना अंकित किया। इसके पश्चात दिनांक 14.02.1965 को भूमि विक्रय करने के आदेश पारित किये गये तथा पट्टा जारी किया गया है। शारदा सबरवाल को राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से 269 तक आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु आवेदन पत्र में जिस भूमि को क्रय किया जाना है, उसकी विशिष्ठियां अंकित नही है। इसके अतिरिक्त किन वार्ड पंचो को स्थान के निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया है, इसका कहीं भी अंकन नही है। दिनांक 17.01.1965 को वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित करते हुए एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि नियमों के अनुसार इससे पूर्व नियम 259 के तहत अस्थाई निर्णय लिया जाना आज्ञापक है। इस भूमि को विक्रय किये जाने के आदेश दिनांक 14.02.1965 को आदेश पारित किये गये है, जबकि इसकी राशि इससे पूर्व ही जमा की जा चुकी थी। नियम 260 के तहत जो नोटिस जारी किया गया, उसके एक माह की अवधि के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त हुई या नही ? नोटिस दिनांक 18.01.1965 को जारी किया गया, जिसके एक माह की अवधि दिनांक 18.02.1965 को होती थी, जबकि इससे पूर्व ही दिनांक 14.02.1965 को भूमि विक्रय करने के आदेश पारित कर दिये गये। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जबकि नियम 266 के तहत जो भी हस्तान्तरण किये गये है, उनका नियम 269 के तहत अनुमोदन करवाया जाना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा किया जाना रेकर्ड पर नही है। इससे यह सुस्पष्ट होता है कि जो पट्टा शारदा सबरवाल के नाम से जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से 269 में वणित प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए विधि विरूद्ध रूप से जारी किया गया है।

विधि का यह सुस्थापिक सिद्धान्त है कि जिस भूमि का पट्टा जारी हो चुका हो, उस भूमि के पूर्व में जारी पट्टे को अतिक्रमित करते हुए दूसरा पट्टा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। हालांकि यह तथ्य पृथक है कि पूर्व में जो पट्टा जारी हुआ, वह न्यायोचित नही था। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा इस तथ्य को किसी भी रूप में नही नकारा कि उक्त भूमि का पट्टा प्रार्थी की माता शारदा सबरवाल के नाम से जारी हो रखा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण को पूर्व में जारी पट्टे की बखूबी जानकारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

होते हुए भी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुकूल नही होने के कारण खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रकरण इस रूप में निर्णित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खारची द्वारा मिसल संख्या 182/1964–1965 में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 22.03.1965, जो कि शारदा सबरवाल के नाम से जारी हुआ है तथा ग्राम पंचायत, मारवाड जंक्शन द्वारा मिसल संख्या 51/2007–08 संकल्प संख्या 5 दिनांक 20.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 27.05.2008 को अपास्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में समस्त तथ्यों की जांच करे तथा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में वर्णित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 8/6/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली